## 1 आपराधिक प्रकरण कमांक 464/2012

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश <u>प्रकरण क्रमांक 464 / 2012</u>

संस्थापित दिनांक 09 / 07 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मालनपुर, जिला भिण्ड म0प्र0

बनाम

राममहेश शर्मा पुत्र किशन शर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी वरहद थाना मेहगांव जिला भिण्ड म०प्र०।

(अपराध अंतर्गत धारा– 279, 337 भा.द.सं.) (राज्य द्वारा एडीपीओ– श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता– श्री के०के० शुक्ला)

::- नि र्ण य -:: (आज दिनांक 16.11.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 01.06.12 को समय करीबन 14:45 बजे सर्किट हाउस के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर थाने के सामने कटारे का मकान मालनपुर में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लोडिंग बुलैरो क्रमांक एम.पी.-30-जी-0589 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी सुरेन्द्र सिंह की लडकी अंजनी को टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 337 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

- संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.12 को फरियादी सुरेन्द्र सिंह यादव की लड़की अंजनी सर्किट हाउस के सामने सड़क के किनारे खेल रही थी तब दिन के करीब पौने तीन बजे वह अपनी लंडकी अंजनी उम्र 5 वर्ष को बूलाने गया था लंडकी संडक के किनारे अपनी साइड से आ रही थी उसी समय ग्वालियर की तरफ से एक लोडिंग बुलैरो क्रमांक एम.पी. –30–जी–0589 का चालक गाडी को बडी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसने अंजनी के टक्कर मार दी थी जिससे अंजनी के बांय पैर, पंजे एवं एडी में मूंदी चोट आई थी तथा शरीर में जगह-जगह चोटें आईं थीं। मौके पर जीत यादव एवं अन्य लोगों ने घटना देखी थी। बुलैरो गाडी वाला गाडी को भगाकर हनुमान चौराहे की तरफ ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में अप0 क0 80 / 12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित

अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया। 4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

## 5. <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :—</u>

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 01.06.12 को समय करीबन 14:45 बजे सर्किट हाउस के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर थाने के सामने कटारे का मकान मालनपुर में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लोडिंग बुलैरो कमांक एम.पी.—30—जी—0589 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया?
- 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपित बुलैरो क्रमांक एमपी 30 जी 0589 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए आहत अंजनी को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से एस0आई0 राकेश प्रसाद अ0सा01, फरियादी सुरेन्द्र सिंह अ0सा02, पुरूषोत्तम नारायण अ0सा03 एवं डॉ0 जी0 आर0 शाक्य अ0सा04 को परीक्षित कराया गया है, जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फिरियादी सुरेन्द्र सिंह अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राममहेश को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2012 की है तारीख व महीना उसे याद नहीं है दिन के करीबन 1 या 2 बजे हुए थे वह अपने घर पर सोया हुआ था तभी उसे मालनपुर थाने के दीवान जी ने बुलाने के लिए किसी को पहुंचाया था और उसे बताया था कि उसकी बच्ची अंजनी कुमारी का थाने के सामने एक्सीडेंट हो गया है वह घटनास्थल पर पहुंचा था तो उसकी बच्ची वहां डली हुई थी वह घटनास्थल पर अपनी बच्ची को उठाने में लग गया था उसे नहीं पता कि बच्ची को टक्कर किस गाडी ने मारी थी क्योंकि टक्कर मारने वाली गाडी बहुत दूर खडी थी। गाडी बुलैरो या मार्शल थी उसने गाडी के चालक को व नंबर को नहीं देखा था। उसने घटना के संबंध में थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र0पी04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना दरोगा जी के सामने हुई थी इसके बाद क्या हुआ था वह नहीं बता सकता। नक्शामौका प्र0पी01 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि टक्कर मारने वाली गाडी बुलैरो का नंबर एम.पी.—30—जी.—0589 था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि गाडी का चालक गाडी को बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था।
- 9. साक्षी पुरूषोत्तम नारायण अ०सा०३ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह वर्ष 2011 से 2017 तक लोडिंग बुलैरो क्रमांक एम.पी.—30—जी—0589 का पंजीकृत स्वामी था मालनपुर थाने वालों ने वर्ष 2012 में उसकी गाडी पकड ली थी जिसे छुडाने के लिए वह थाने पर गया था तब पुलिस वालों ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। प्रमाणीकरण प्र0पी०६ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रमाणीकरण में क्या लिखा था उसे नहीं पता है। उक्त साक्षी को

अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी गाडी नंबर एम.पी.—30—जी.—0589 को नवंबर 2011 से घटना दिनांक 01.06.12 तक आरोपी राममहेश चला रहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त दिनांक को गाडी के चालक ने उसे गाडी से एक्सीडेंट होने की सूचना दी थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने प्र0पी06 के प्रमाणीकरण पर पढकर हस्ताक्षर किए थे।

- 10. डॉ० जी० आर० शाक्य अ०सा०४ ने आहत अंजनी की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०७ एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी०८ को प्रमाणित किया है एवं एस० आई० राकेश प्रसाद अ०सा०१ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- 12. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी सुरेन्द्र सिंह अ०सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर सोया हुआ था उसे मालनपुर थाने के दीवानजी ने बुलवाया था तब वह घटनास्थल पर पहुंचा था और उसने देखा था कि उसकी बच्ची अंजनी का एक्सीडेंट हो गया था और वह वहां पड़ी हुई थी उसे नहीं पता कि बच्ची को किस गाड़ी ने टक्कर मारी थी। उसने गाड़ी का नंबर एवं चालक को नहीं देखा था उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी का नंबर एम.पी.—30—जी—0589 था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि गाड़ी का चालक गाड़ी को बड़ी तेजी व लापरवाही से चला रहा था। इस प्रकार फरियादी सुरेन्द्र सिंह अ०सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उक्त साक्षी ने अंजनी का एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी दुर्घटना कारित होने के बाद मौके पर पहुंचा था। उक्त साक्षी द्वारा अंजनी का एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ था उसका नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था उक्त साक्षी द्वारा आरोपित लोडिंग बुलैरो क्रमांक एम.पी.—30—जी—0589 एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 13. साक्षी पुरूषोत्तम नारायण अ०सा०3 जो कि आरोपित लोडिंग बुलैरो कमांक एम.पी. -30-जी-0589 का पंजीकृत स्वामी है ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है उक्त साक्षी ने प्रमाणीकरण प्र०पी०६ के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रमाणीकरण में क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि नवंबर 2011 से दिनांक 01.06.12 तक आरोपित लोडिंग बुलैरो कमांक एम.पी.-30-जी-0589 को आरोपी राममहेश चलाता था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को राममहेश ने उसे एक्सीडेंट की सूचना दी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने प्र०पी०६ के प्रमाणीकरण पर पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार पुरूषोत्तम नारायण अ०सा०3 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि आरोपित बुलैरो को आरोपी राममहेश चलाता था। उक्त साक्षी ने प्र०पी०६ का प्रमाणीकरण भी पुलिस को देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध

कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित बुलैरो को आरोपी राममहेश चला रहा था।

- 14. डॉ० जी० आर० शाक्य अ०सा०४ द्वारा आहत अंजनी की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०७ एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी०८ को प्रमाणित किया गया है। एस० आई० राकेश प्रसाद अ०सा०१ द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य के देखते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
- 15. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी सुरेन्द्र सिंह अ0सा02 एवं नारायण सिंह अ0सा03 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। एस0 आई0 राकेश प्रसाद अ0सा01 एवं डॉ0 जी0 आर0 शाक्य अ0सा04 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित बुलैरों को अपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर अंजनी को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की थी। ऐसी स्थित में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 16. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 01.06.12 को समय करीबन 14:45 बजे सर्किट हाउस के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर थाने के सामने कटारे का मकान मालनपुर में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लोडिंग बुलैरों क्रमांक एम.पी. —30—जी—0589 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करते हुए आहत् अंजनी में टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी राममहेश को भा0द0सं0 की धारा 279 एवं 337 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 18. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
- 19. प्रकरण में जप्तशुदा बुलैरो कमांक एम.पी.—30—जी.—0589 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक — 16.11.17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)